



जोन 10 में जेडीए खसरों की बेशकीमती सरकारी ज़मीन पर 'अशोक विहार नामक अवैध कॉलोनी का लगा घुंण'

कब चेतेंगे संबंधित जिम्मेदार? कब चलेगा पीला पंजा, कब गरजेगा जेडीए का बुलडोजर

ब्लैक लिस्टेड श्रीराम पुरा गृह निर्माण सहकारी समिति सोसाइटी ने मचा रखी हैं ग़दर

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी) राजधानी जयपुर में सरकार इन दिनों प्रदेश के चहुंमुखी विकास और आगामी बहुउद्देशीय योजनाओं से समावेशी कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान की तैयारियों में युद्ध स्तर पर व्यस्त हैं शासन-प्रशासन एवं जेडीए की इस व्यस्तता को भू-माफियाओं द्वारा इसे आपदा में अक्सर समझकर इकोलॉजिकल जोन 10 सहित सभी जोनों में नवीन अवैध कॉलोनियों की एक अव्यवस्थित श्रृंखला की झड़ी लगा दी है इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण के इकोलॉजिकल जोन 10 परिक्षेत्र के बगराना ग्राम स्थित नमकीन फैक्ट्री के पास बाँके बिहारी मंदिर के आगे जेडीए स्वामित्व के खसरों 339 में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अशोक विहार नामक अवैध कॉलोनी बसा दी है इस अवैध कॉलोनी में ब्लैक लिस्टेड सोसायटी श्रीरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टों की बंदरबांट की गयी है आपकों बता दें कि इकोलॉजिकल क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत बगराना स्थित जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध बाउंड्रीवाल बनाकर भू-खंड बैचान किये गये हैं जिससे ना सिर्फ राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का भारी राजस्व का नुकसान हुआ बल्कि भोले भाले और शरीफ आम आदमी की गाढ़ी कमाई पर भी भू-माफियाओं ने अत्यक्ष रूप से डाका डाला है गौरतलब है कि उक्त नवीन अवैध कॉलोनी इकोलॉजिकल जोन क्षेत्राधिकार में बगराना स्थित नमकीन फैक्ट्री के पास में जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा-अतिक्रमण कर भूमि को समतल कर अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बाउंड्रीवाल बना ली, इसके साथ ही अवैध निर्माण भी कर दिया गया है उन्होंने बताया कि यह जमीन करोड़ों रुपए की है। पर बड़ा सवाल है कि आखिर इस अवैध कॉलोनी अशोक विहार में आखिर गरजेगा जेडीए का बुलडोजर



जेडीए प्रशासन के नवीन अवैध कॉलोनियों के संबंध में कार्रवाई को लेकर किये जा रहें जीरों टॉलरेंस निति के दावों पर लगा सवालियां निशान

भू-माफियाओं द्वारा खुलेआम आमजन की गाढ़ी कमाई को लगाया जा रहा है धोखे का चुना

बड़ा सवाल आखिर क्यों नहीं होते हैं ब्लैक लिस्टेड/ फर्जी सोसायटियों के पदाधिकारियों पर मुकदमे



इन नवीन अवैध कॉलोनियों से आमजन का जीना हराम, फिर भी नहीं होती हैं प्रमावी कार्रवाई

जोन-10 में मानबाग, नाई की थड़ी, जयसिंहपुराखोर, सुमेल, बगराना, विजयपुरा, खोरी रोपाडा, खो- नागोरियान, गोनेर रोड़, कानोता रोड़, साभरीया रोड़, आदि स्थानों पर इकोलॉजिकल परिक्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गयी। जागरूक लोग कई सालों से शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन जेडीए ने कार्रवाई नहीं की। आसपास के गांवों व कॉलोनियों के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। इनके खिलाफ जेडीए, जिला प्रशासन व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जेडीए जोन -10 में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों से आमजन का जीवन जीना दूभर हो गया है।



जेडीए को करनी होगी इन अवैध कॉलोनियों पर बड़ी एवं प्रमावी कार्रवाई

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया जयपुर विकास प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों के जिम्मेदारों को भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत एवं अवैध तरीके से जेडीए की सरकारी एवं गैर-सरकारी जमीनों सिवायचक भूमि मैदानों नालों, खाली पड़ी जमीनों आदि पर अवैध तरीके से बसायीं जा रही इन कॉलोनियों के खिलाफ पुख्ता न्यायसंगत कार्रवाई किया जाना अतिआवश्यक है इसके अलावा संबंधित विभाग को इन अवैध कॉलोनियों की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी सरकार को अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास की बेहतर योजना बनाने में मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पानी दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा काम किया जाएगा।

ब्लैक लिस्टेड श्रीराम पुरा गृह निर्माण सहकारी समिति सोसाइटी ने मचा रखी हैं ग़दर

ग्राम बगराना में नमकीन फैक्ट्री के पास बाँके बिहारी मंदिर के आगे सुजित अवैध कॉलोनी अशोक विहार में ब्लैक लिस्टेड सोसायटी श्री रामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति ने गंद मचा रखी है बिना खौफ के, बैकडेट में पट्टे वितरित कर अशोक विहार को बसाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसी तरह से शहर

के बाहरी जोन में धड़ल्ले से बैकडेट में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। जेडीए ने पिछले चार महीने में एक दर्जन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। तोड़फोड़ के बाद जेडीए ने यहां पट्टे देने वाले लोगों व सोसायटियों के खिलाफ जांच ही नहीं की। ऐसे में एक भी सोसायटी व बैकडेट

में पट्टा देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाई है। आपकों बता दें कि जोन 10, 12,13 व 14 सहित अन्य के इलाकों में सरकारी एवं निजी जमीनों पर बैकडेट में सोसायटी पट्टों में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। जेडीए ने पिछले चार महीने में एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के खिलाफ

कार्रवाई की है, लेकिन कुछ सिफारिशों अवैध कॉलोनियों पर जोन से मौका व रेवन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट नहीं आने के नाम पर कार्रवाई रोककर लिफापोती हुई है। वहीं रिपोर्ट आने में लगे एक साल के कारण प्रवर्तन अधिकारियों ने कुछ कॉलोनियों को पुरानी बताते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई से ही इंकार

संक्षिप्त समाचार

पाली में बी.एस.टी.सी. कॉलेज का प्रबन्ध संचालक एवं व्याख्याता 10 हजार रुपये रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

चमकता राजस्थान। जयपुर (खलील कुरैशी) 13 नवम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता उज्वल विक्रम बी.एस.टी.सी. कॉलेज, बोमादडा रोड़, पाली को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्तत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसकी उपस्थिति पूरी करने एवं नम्बर दिलवाने की एवज में गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता द्वारा 10 हजार रुपये रिश्तत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है जिस पर एसीबी जयपुर-द्वितीय के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेपर कार्यवाही करते हुए आरोपी गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्तत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रिमता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही

- राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत शहर को स्वच्छ व सुन्दर की सकारात्मक पहल
- अनाधिकृत नियम विरुद्ध लगाये गये एरियल केबल को हटाने की हुई कार्यवाही



स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिये नगर निगम ग्रेटर लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत बुधवार को सुबह 10 बजे से ही लक्ष्मी मंदिर तिराहे से नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। मालवीय नगर जोन, जगतपुरा जोन, सांगानेर जोन में यह कार्यवाही उपायुक्त राजस्व प्रथम, लाईन्सेस, होर्टिंग शाखा, गैराज शाखा, विद्युत शाखा एवं सतर्कता शाखा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। गुरुवार को भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। कार्यवाही के तहत भारत सेतु फ्लाईओवर से सहकार मार्ग, सहकार मार्ग से टोंक रोड़, केन्द्रीय विद्यालय-1 वाया अभिमन्यू मार्ग, जेएलएन मार्ग से जवाहर सर्किल, जवाहर सर्किल से टर्मिनल-1, टर्मिनल 2 से तारों की कूट, तारों की कूट से सांगानेर फ्लाईओवर व अन्य मुख्य मार्गों पर सम्पूर्ण क्रॉसिंग/अनाधिकृत/नियम विरुद्ध एरियल केबल हटाई गई साथ ही अनाधिकृत पोलस को भी हटाय

गया। आयुक्त ने बताया कि निगम द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार की जा रही है किन्तु अनाधिकृत नियम विरुद्ध एरियल केबल हटाने संबंधी कार्यवाही के तुरन्त बाद ही विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाता कम्पनी एवं अन्य डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कार्यवाही स्थलों पर स्थित निगम के विद्युत पोलस पर अवैध रूप से पुनः एरियल केबल को बिछा दिया जाता है। इसलिए ऐसे स्थलों पर विजिलेंस टीम के होमगार्ड द्वारा गश्ती की जायेगी। जिससे कार्यवाही पश्चात उक्त मार्गों पर किसी भी विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाता कम्पनी एवं अन्य डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अवैध रूप से एरियल केबल ना बिछाई जा सके। उन्होंने बताया कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा बिना अनुमति के लगाये जाने वाली एरियल केबल को हटाने की कार्यवाही के साथ ही संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाती रहेगी।

बाल शिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए अभियान उमंग अभियान- 4 प्रारंभ, स्क्रीनिंग करेगी पुलिस

● बच्चों को शिक्षा नहीं शिक्षा दे- एडीम ओम प्रकाश सहारण



चमकता राजस्थान। कोटपूतली-बहरोड़ (धर्मेंद्र बंसल) 13 नवंबर। जिले में शिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, श्रम विभाग, बाल संरक्षण समिति, चाइल्ड लाइन तथा पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से उमंग अभियान- 4 प्रारंभ किया गया है। बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण की अध्यक्षता में उमंग अभियान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई बैठक में बस स्टैंड तथा शहर के मुख्य चौराहे पर बच्चों का भीख मांगना बंद करने के लिए 30 दिन तक उमंग अभियान-4 चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जिसमें भीख मांगते पकड़े गये बच्चों को उनके संरक्षण और पुनर्वास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल कल्याण समिति के पास पेश किया जायेगा। बाल शिक्षावृत्ति को रोकने के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान में प्रत्येक थाने से पुलिस अधिकारियों/ पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई है बैकट के दौरान पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र बुरडक, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सतपाल यादव, समाज कल्याण विभाग के विभाग के गजराज यादव, श्रम विभाग के निरीक्षक अरविंद दीक्षित मौजूद रहे।